न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मन मोहन मीना , आर ए एस
प्रार्थना पत्र संख्या :– 06/2021

उनवान

1 सरोज पत्नि दामोदर लाल जाति ब्राहम्रण निवासी नयाबास तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर

बनाम

1 ईश्वर पुत्र घीसालाल जाति गुर्जर निवासी गैलाडेरा तहसील शाहपुरा
2 छीतरमल पुत्र गोलू (गोदू) जाति गुर्जर निवासी गैलाडेरा तहसील शाहपुरा
3 नाथूराम पुत्र गोलू (गोदू) जाति गुर्जर निवासी गैलाडेरा तहसील शाहपुरा
4 अनोखीदेवी पुत्री मुरली पत्नि मोहनलाल जाति खाती नयाबास तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर
5. मन्दिर मूर्ति श्री श्री 1008 परमानन्द जी महाराज स्थान कुण्डा धाम जरिये पुजारी श्री महन्त प्रहलाद दास जी महाराज चेला स्व0 मंगलदास जी महाराज निवासी कुण्डाधाम तह0शाहपुरा
6. महन्त प्रहलाद दास महाराज चेला स्व0 मंगलदास जी महाराज निवासी कुण्डाधाम तह0शाहपुरा
7. हंसादेवी पुत्री मुरली पत्नि भंवरलाल जाति खाती निवासी बालाजी विहार 18 प्लॉट नं0 109 नीयर 4 सी स्कीम (80फीट मोती बन्धा रोड) माचडा (हरमाडा) जयपुर 302013

प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010

आदेश दिनांक 8.12.2021

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) के तहत पेश किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि आ0,ख0नं0 1063 रकबा 0.54 है0 व 1077 रकबा 0.48 है0 वाके ग्राम नयाबास तहसील शाहपुरा स्थित है जिसमे प्रार्थीया खातेदार काश्तकार है तथा ख0नं0 1049 रकबा 1.99 है0 वाके ग्राम नयाबास तहसील शाहपुरा स्थित है जिसके अप्रार्थीगण सं0 1 व 7 खातेदार काश्तकार है । खातेदार नारायण पुत्र गोलू (गोदू) की मृत्यु हो चुकी है एवं मृतक नारायण नाऔलाद कुंवारा फौत हुआ है। प्रार्थीया की भूमि 1063 रकबा 0.54 है0 व 1077 रकबा 0.48 है0 वाके ग्राम नयाबास तहसील शाहपुरा में जाने आने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1049 रकबा 1.99 है0 में से रास्ता हेतु आवेदन किया गया । प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई तथा तहसीलदार शाहपुरा से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई । अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे । तहसीलदार शाहपुरा ने अपनी रिपोर्ट में जाहिर किया गया कि प्रार्थीया द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1049 के दक्षिणी पश्चिमी कोने में पुख्ता मकान बना हुआ होने के कारण वहां से रास्ता दिया जाना सम्भव नहीं है । आराजी खसरा नम्बर 1063 के उत्तरी पूर्वी कोने में मनोहरपुर से धवली सडक तक कुल 40 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई में रास्ते हेतु प्रस्तावित की गई है। प्रार्थीया को प्रशासन गावों के संग कैम्प राडावास में सुना गया तथा प्रार्थीया ने रास्ता चाहेतु हेतु निवेदन किया । प्रार्थीया ने अप्रार्थी अनोखी देवी व हंसादेवी के पिता मुरली पुत्र रूघा खाती के द्वारा लिखा गया इकरानामा की छाया प्रति भी पेश कर जाहिर किया कि उक्त इकरनामा के द्वारा भी साबिक ख0नं0 78 जिसके हाल ख0नं0 1049 कायम किये गये है में से प्रार्थीया को ट्रेक्टर ट्रोली ले जाने के लिए रास्ता दिया जाकर उसमें कोई रूकावट पैदा नहीं करने का इकरारनामा लिखा गया है। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे है। तथा मौका रिपोर्ट पर भी अप्रार्थीगण प्रहलाददास महन्त मंदिर श्री श्री 1008 परमानन्द महाराज कुण्डा धाम अनुपस्थित रहे तथा शेष अप्रार्थीगण ने मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया तथा न हीं आज कैम्प में तारीख पेशी पर उपस्थित आये । अप्रार्थी अनोखी देवी व हंसादेवी के पिता के द्वारा लिखा गया इकरारनामा से भी जाहिर होता है कि प्रार्थीया को खातेदार मुरली के द्वारा भी रास्ता दिया गया था । इस प्रकार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र प्रशासन गावो के संग अभियान में लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए निस्तारण किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010 न्यायिक दृष्टि से स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1049 रकबा 1.99 है0 वाके ग्राम नयाबास तहसील शाहपुरा में से ख0न0 1063 के उत्तरी पूर्वी कोने से मनोहपुर धवली सड़क तक 4 मीटर चौड़ाई व 40 मीटर लम्बाई कुल 160 मीटर भूमि रास्ते हेतु आई भूमि का तहसीलदार शाहपुरा आकलन कर रास्ते हेतु जो भूमि आती है उसकी वर्तमान मे प्रचलित डी एल सी दर से आकलन कर डीएलसी दर की दो गुना राशि प्रार्थीगण से वसूल कर नियमानुसार खातेदार /अप्रार्थीगण को भुगतान किया जावे तथा मृतक खातेदार नारायण पुत्र गूल के हिस्से की भूमि का भुगतान भी उसके विधिक वारिसान को नियमानुसार किया जाकर राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में रास्ते का अमल दरामद किया जावे । तहसीलदारी शाहपुरा को पालनार्थ लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 8.12.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर प्रशासन गावो के संग कैम्प राडावास में सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर